ऑल इण्डिया जैन परिषद् एग्जामिनेशन बोर्ड

(स्थापना 1925)

संशोधित संविधान

संक्षिप्त परिचय, उद्देश्य

एवम्

अद्यतन संशोधित नियमावली

जुलाई 2023

ऑल इण्डिया जैन परिषद् एग्जामिनेशन बोर्ड (रजि.)

3896, प्रथमतल, रोशनआरा रोड़,

पुलबंगश मैट्रो के सामने, बर्फखाने के पीछे

पुरानी सब्जीमंडी, दिल्ली-110007

मो. 8744851960, 7011012050

Registered under the Societies Registration Act 1860 Amendment Act 1957 (Punjab)

निवेदन

लगभग 98 वर्ष पहले हमारे विद्वानों, मनीषियों ने सोचा होगा कि भविष्य में जैन संस्थाओं को किस प्रकार सुरक्षित रख सकेंगे। इन पर विचारों के बाद 1925 में परम पूज्य ब्रह्मचारी श्री शीतल प्रसाद जी जैन, पं. परमेष्ठी दास जी जैन आदि महानुभावों ने ऑल इण्डिया जैन परिषद् एग्जामिनेशन बोर्ड की स्थापना की। जिसके माध्यम से भारत के जैन स्कूलों में धार्मिक शिक्षा का पठन-पाठन शुरू किया गया।

इसके प्रचार-प्रसार हेतु समय-समय पर अधिवेशन जैसे सन् 1959 जनवरी में अम्बाला, दिसम्बर में 1960 बड़ौत, दिसम्बर 1961 में फिरोजाबाद, दिसम्बर 1962 में ललितपुर आदि में परीक्षा बोर्ड के अधिवेशन करके हमारे पूर्वजों ने धार्मिक शिक्षा का प्रचार-प्रसार किया।

यह श्रृंखला रूकी नहीं बाबू उग्रसैन जैन बड़ौत, बाबूलाल जैन जमादार बड़ौत, बलवन्त सिंह जैन एम.ए., बाबू उग्रसैन जैन जी रोहतक, तथा प्रिंसिपल डा. रूपचन्द जैन जी सहारनपुर, महावीर प्रसाद जैन जी बहादुरगढ़ व जयन्ती प्रसाद जैन जी दिल्ली ने अपने अन्तिम सांस तक इसको सींच कर हरा भरा रखा।

उन पूर्वजों, विद्वानों सेठ साहूकारों एवं समाज सेवियों के ही आशीर्वाद से आज भी यह संस्था निरन्तर आगे बढ़ती जा रही है। अब हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि भविष्य में हम इसको कितना सहयोग दे सकते है।

श्रीमान जी आज के युग में हम अपने पूर्वजों की बात भूलते जा रहे है जो बचपन में हमारी, तुम्हारी अंगुली पकड़कर जैन मंदिर जी ले जाया करते जिससे आज हमारे संस्कार जैन है। परन्तु आज हमारे बच्चे जैन स्कूलों में ना जाकर कॉनवेंट स्कूल, मॉडर्न स्कूल, पब्लिक स्कूलों में जाकर अंग्रेज बनते जा रहे हैं देव दर्शन तो दूर णमोकार मन्त्र भी नहीं जानते। आप ही सोचिये कि हमारे आचार्य, मुनि श्री दिगम्बर जैन मंदिरों का निर्माण रात दिन करा रहे है। इनमें कौन जायेगा।

मेरा अभिप्राय यह नहीं कि बच्चों को अंग्रेजी या अन्य भाषा ना पढ़ाये परन्तु इसके साथ-साथ मातृभाषा एवं जैन संस्कार भी पढ़ाने जरूरी है। यह आपकी पुरानी संस्था है। इसका भी आप लोगों को ही ध्यान रखना है। आप लोगों के ही सहयोग से 98 वर्ष बाद हमें पुराने ऑफिस दरियागंज से 3896 रोशनआरा रोड़, सब्जीमंडी दिल्ली में स्थान लेने का अवसर मिला।

निवेदक - अजित प्रसाद जैन (महामंत्री), परिषद् परीक्षा बोर्ड

संशोधित संविधाान
ऑल इण्डिया जैन परिषद् एग्जामिनेशन बोर्ड
का विधान व नियमावली

1. नाम — इस संस्था का नाम ''ऑल इण्डिया जैन परिषद् एग्जामिनेशन बोर्ड होगा।

2. कार्यालय — इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली (भारत) में होगा। इस समय पंजीकृत कार्यालय का स्थान व पता 3896, प्रथमतल, रोशनआरा रोड़, पुरानी सब्जीमंडी, दिल्ली 110007 है। संस्था की कार्यकारिणी को यह अधिकार रहेगा कि वह समय पर आवश्यकतानुसार कार्यालय को अन्य स्थान पर ले जा सकती है तथा यदि आवश्यकता पड़े तो शाखा कार्यालय भी अन्य स्थान पर खोल सकती है।

3. उद्देश्य — इस संस्था के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :-

(a) इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य स्कूल, कॉलेज, पाठशालाओं छात्रालयों, तथा अन्य जैन संस्थाओं में प्रशिक्षण व पठन करने वाले विद्यार्थियों को जैन धार्मिक व नैतिक शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करना, संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रबन्ध कराना तथा संस्था के पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा लेना।

(b) संस्था के अन्तर्गत आने वाले सभी स्कूलों, कॉलेजों, संस्थाओं, छात्रालयों और पाठशालाओं में जैन-अजैन विद्यार्थियों के अतिरिक्त, शिक्षक, पाठन करने वाले, पुजारी व अन्य इच्छुक व्यक्तियों व महिलाओं को भी जैन धार्मिक व नैतिक शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करना व संस्था के पाठ्यक्रम के विभिन्न कोर्स के अनुसार परीक्षा लेना तथा उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं में से योग्यतानुसार चयन कर छात्रवृत्ति देकर प्रोत्साहित करना।

(c) समाज के बहिष्कृत भाई-बहनों को तथा जैनत्व को भूले हुए प्राचीन सहधर्मियों को योग्य, धार्मिक और सामाजिक अधिकार और सुविधाएं देकर अपनाना, मिलाने के साथ-साथ उनमें

धार्मिक रूचि पैदा करते हुए धार्मिक शिक्षा व नैतिक शिक्षा की ओर अग्रसर करना व धार्मिक परीक्षा देने के लिए प्रेरित करना।

(d) असहाय जैन बन्धुओं, स्त्रियों और बालकों की रक्षा करना, उनके भरण-पोषण आजीविका और शिक्षण के लिए आश्रम, महिलाश्रम, उदासीनाश्रम आदि संस्थाएं खुलवाने व उनकी सहायतार्थ सहायता कोष स्थापित करने का प्रयत्न करना।

(e) जैन शास्त्र भण्डारों की रक्षा करने हेतु प्रयास करना तथा प्राचीन ग्रंथों की पुनर्लिपि कराना, अनुवाद कराना, उनका पुनः प्रकाशन प्रचार-प्रसार करना तथा प्राचीन अमूल्य शास्त्रों का संग्रह करना तथा नवीन ढंग से विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराना।

(f) जैन संस्कृति, कला, विज्ञान, दर्शन, इतिहास, स्वराज्य व स्वतंत्रता में जैन धर्म व सेनानियों द्वारा योगदान आदि विषयों पर सर्व साधारण की जानकारी बढ़ाने के लिए तथा नैतिक व धार्मिक पाठ्यक्रम हेतु लघु पुस्तिकायें अथवा पत्र-पत्रिकाएं निकालना। पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करना या कराना।

(g) लौकिक, नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक पुस्तकालय, वाचनालय, स्वाध्याय मंडल, व्याख्यान भवन, पाठशाला, विद्यालय, परीक्षालय, छात्रावास आदि संस्थापित कर छात्र-छात्राओं को नैतिक व धार्मिक शिक्षा की ओर अग्रसर करना।

(i) शाकाहार के महत्त्व को विद्यार्थियों को समझाने हेतु खान-पान संबंधी जैनाचार की उपयोगिता के विषय को जैन धर्म की वैज्ञानिकता से पुष्टि हेतु उचित साहित्य का प्रकाशन कराकर समाज में प्रचार-प्रसार कराना।

(j) उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक, उपयोगी व सहायक सभी प्रकार के अन्य कार्य करना। इस विषय में कार्य करने वाले व्यक्ति, संस्था या सोसाइटी को प्रोत्साहित करना तथा उन सभी का एकीकरण कर उन्हें निरीक्षण, सुझाव, सहायता द्वारा विशेष उपयोगी और उन्नतिशील बनाना।

नियमावली

1. सदस्यता - परिषद् परीक्षा बोर्ड के उद्देश्यों, मन्तव्य और नियमों व रीतियों में विश्वास करने वाला प्रत्येक जैन व्यक्ति (महिला या पुरुष) जिसकी आयु 21 वर्ष से कम न हो, परिषद् परीक्षा बोर्ड की सदस्यता फार्म भरने पर व निर्धारित शुल्क देकर परीक्षा बोर्ड की कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृति होने पर सदस्य बन सकता है।

2. सदस्यों की श्रेणियां :-

(क) परम शिरोमणि संरक्षक - सम्मानित राशि (5 लाख रुपये)

(ख) शिरोमणि संरक्षक - सम्मानितराशि (2 लाख 51 हजार रुपये)

(ग) विशिष्ट संरक्षक - सम्मानित राशि (1 लाख रुपये)

(घ) संरक्षक - सम्मानित राशि (51 हजार रुपये)

(ड) सहायक सदस्य - सम्मानित राशि (21 हजार रुपये)

(च) आजीवन सदस्य - सम्मानित राशि (11 हजार रुपये)

(छ) मासिक सहयोग सदस्य - सम्मानितराशि(1100 प्रतिमाह रुपये)

उपरोक्त सभी संरक्षकगण एवं सदस्य कार्यकारिणी द्वारा अनुमोदित होंगे। संरक्षकगणों से प्राप्त धनराशि से संस्था का ध्रुव-फण्ड बनेगा।

3. सदस्य का निलंबन -

किसी भी श्रेणी के सदस्य का निलंबन या वह व्यक्ति निम्नलिखित अवस्थाओं में परिषद् परीक्षा बोर्ड का सदस्य नहीं माना जाएगा -

(क) यदि सदस्य अपनी इच्छानुसार त्यागपत्र देता है तो उसका त्यागपत्र केवल कार्यकारिणी की मीटिंग में पास होने के बाद ही वैद्य होगा।

(ख) यदि कोई भी सदस्य परिषद् परीक्षा बोर्ड के नियमों, उद्देश्यों व मन्तव्यों के विरुद्ध कार्य करता है तो कार्यकारिणी को उसकी सदस्यता समाप्त करने का अधिकार रहेगा तथा उसकी सदस्यता समाप्त करने की सूचना संबंधित सदस्य को 7 दिन के भीतर देनी अनिवार्य होगी। यदि वह सदस्य अपनी गलतियों व दोषों के लिए माफी मांगता है तो कार्यकारिणी उसकी संस्था के प्रति दी गई सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उसे पुनः सदस्य बना सकती है बशर्ते उससे लिखित में इस विषय में लिखवा

लिया जाए तथा वह संस्था के उद्देश्यों, नियमों व मन्तव्यों में दृढ़ विश्वास व्यक्त करें।

(ग) जिस किसी सदस्य का सदस्यता शुल्क छह माह या उससे अधिक का बाकी रहेगा उसकी सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाएगी। उसके पुनः सदस्य बनाने पर भी विचार करने का अधिकार कार्यकारिणी को रहेगा तथा यदि कार्यकारिणी चाहे तो उसे पुनः सदस्य बना सकती है।

4. सदस्यों के अधिकार व कर्त्तव्य :-

(1) सब सदस्य मद्य-मांस, अण्डा तथा सप्त व्यसन का त्याग रखेंगे।

(2) सभी सदस्य संस्था के उद्देश्यों, नियमों व मन्तव्यों में अपनी आस्था व विश्वास रखेंगे।

(3) प्रत्येक सदस्य का यह कर्त्तव्य होगा कि वह परीक्षा बोर्ड के उद्देश्यों, मन्तव्यों व नियमों तथा पास हुए प्रस्तावों को स्वयं क्रियान्वित करें तथा क्रियान्वित कराने में भी हर प्रकार का सहयोग प्रदान करें व दिलाएं।

(4) जिस किसी सदस्य का वार्षिक/मासिक शुल्क जमा नहीं होगा तथा दो वर्ष से अधिक का यदि सदस्यता शुल्क बाकी होगा वह न तो चुनाव में भाग ले सकेगा तथा न ही संस्था की बैठकों में अपना मत दे सकेगा।

(5) संस्था की बैठक में जो भी साधारण या विशेष प्रस्ताव पास किए जाते हैं सभी सदस्य उनका स्वयं पालन कर आदर्श प्रस्तुत करें।

(6) संस्था के उद्देश्यों, नियमों व मन्तव्यों के विरुद्ध कोई भी सदस्य कार्य नहीं करेगा।

5. परिषद् परीक्षा बोर्ड का गठन - ऑल इण्डिया जैन परिषद् एग्जामिनेशन बोर्ड की कार्यकारिणी का संगठन निम्नानुसार होगा।

1. चेयरमैन - एक
2. अध्यक्ष - एक
3. वरिष्ठ उपाध्यक्ष - एक
4. उपाध्यक्ष - दो

5. महामंत्री - एक
6. संयुक्त मंत्री - एक
7. सहमंत्री - दो
8. कोषाध्यक्ष - एक
9. सहकोषाध्यक्ष - एक
10. कार्यालय मंत्री - एक
11. संयुक्त कार्यालय मंत्री - एक
12. संयोजक - तीन
13. प्रचार मंत्री - तीन
14. सलाहकार - दो
15. सदस्य - दस

(क) कार्यकारिणी की सदस्य संख्या 31 तक रहेगी। इसके अलावा 3 सदस्यों को मनोनीत भी किया जा सकता है जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में विशेष प्रतिभा अर्जित की हो।

(ख) कार्यकारिणी का सदस्य यदि चाहे तो अपनी इच्छानुसार कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे सकता है तथा वह इस विषय में अपना त्यागपत्र अध्यक्ष अथवा महामंत्री को भेज सकता है तथा अध्यक्ष अथवा महामंत्री को भेज सकता है तथा अध्यक्ष तथा महामंत्री उसके त्यागपत्र को जिसे कार्यकारिणी की बैठक में अनुमोदित कराना होगा।

(ग) यदि कार्यकारिणी सदस्य लगातार बैठकों में बिना किसी पूर्व सूचना या उचित कारण के अनुपस्थित रहता है तो कार्यकारिणी उस सदस्य की कार्यकारिणी से सदस्यता समाप्त कर किसी अन्य सदस्य को स्थान दे सकती है।

(घ) सभी संरक्षक सदस्य कार्यकारिणी सदस्यों की कुल संख्या के अलावा कार्यकारिणी के नामित सदस्य होंगे तथा वे कार्यकारिणी की सभा में भाग ले सकेंगे।

(ड) संस्था के मासिक सहयोगी सदस्य साधारण सभा में भाग लेंगे तथा यदि कभी कार्यकारिणी इस बात की जरूरत महसूस करती है तो किसी विशेष बैठक में उपयुक्त सदस्य की सेवाएं ले सकती है।

(च) संस्था का बैंक खाता किसी मान्यता प्रान्त बैंक में खोला जायेगा। बैंक में लेन-देन का कार्य कोषाध्यक्ष के अलावा अध्यक्ष या महामंत्री में से किसी एक के हस्ताक्षर से होगा।

(छ) वर्ष में एक बार छपने वाली वार्षिक रिपोर्ट (स्मारिका) में लेखाकार द्वारा स्वीकृत हिसाब, प्रगति रिपोर्ट आदि में प्रकाशित होगी।

कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव साधारण सभा में किया जाएगा तथा उनका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए रहेगा।

बैठक

संस्था के कार्यकारिणी के चुनाव की सभा (जोकि वार्षिक साधारण सभा होगी) के लिए 15 दिन की पूर्व सूचना देनी अनिवार्य होगी तथा चुनाव निधारित समय, दिन तथा स्थान जिसकी सूचना नोटिस में पूर्व कार्यक्रमानुसार देनी अनिवार्य होगी। इस चुनावी सभा का कोरम ग्यारह सदस्य या 2/3 जो भी अधिक हो वह होगा।

यदि कोरम की वजह से बैठक स्थगित की जाती है तो स्थगित बैठक उसी स्थान पर आधे घण्टे पश्चात् की जाएगी तथा उस बैठक के लिए कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

कार्यकारिणी समिति छह माह में कम से कम एक बार एक बैठक अवश्य करेगी जिसमें संस्था द्वारा किए गए कार्यों का अवलोकन किया जाएगा।

कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना कम से कम तीन दिन पूर्व देनी होगी तथा उस बैठक का कोरम कार्यकारिणी समिति के कुल सदस्यों का एक तिहाई या उससे अधिक रहेगा। यदि कोरम पूरा नहीं होता है तो स्थगित बैठक उसी स्थान पर पुनः आधे घण्टे बाद की जाएगी। जिसके लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

वार्षिक साधारण सभा एक वर्ष में एक बार बुलाई जा सकती है जिसके लिए 15 दिन की पूर्व सूचना देनी अनिवार्य होगी। वार्षिक साधारण सभा का कोरम भी 1/3 या अधिक रहेगा तथा यदि कोरम पूरा नहीं होता है तो स्थगित बैठक पुनः उसी स्थान पर आधे घण्टे पश्चात् होगी जिसके लिए भी कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

विशेष या आपातकालीन सभा भी एक दिन की सूचना पर विशेष

परिस्थितियों में कार्यकारिणी बुला सकती है तथा उस सभा का भी संचालन साधारण बैठक की तरह रहेगा तथा जिसके लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

संस्था के विधान में परिवर्तन के लिए कार्यकारिणी या प्रबन्धकारिणी समिति पूर्ण रूप से अधिकार रखेगी। यदि समिति चाहे तो संस्था के विधान के उद्देश्यों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकती है। जिसकी सूचना रजिस्ट्रार कार्यालय में देनी होगी। संस्था के अन्तर्गत चल रही उपसमितियों का पूर्ण नियंत्रण रखेगी तथा उनकी वित्तीय, वैधानिक तथा अन्य कार्यों के लिए उपर्युक्त कोष की भी स्थापना करेगी।

कार्यकारिणी समिति के कार्य

1. संस्था के ठीक संचालन व प्रबन्ध के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेगी।
2. अपने बजट प्रावधान के अनुसार किसी भी मद के लिए सीमानुसार व्यय करना।
3. किसी भी सदस्य द्वारा दिए गए त्यागपत्र के कारण रिक्त हुए स्थान की पूर्ति करना।
4. संस्था के कार्यालय में कार्य कर रहे कर्मचारियों को रखने, निकालने, निलम्बन या अन्य व्यक्तियों को रोजगार देना।
5. संस्था के हित में कोई भी दस्तावेज संस्था के लिए तैयार करना या नियोजक बनाना।
6. संस्था के हित के लिए, संस्था की तरफ से या संस्था के खिलाफ डाले गए किसी भी वाद या अन्य विधायी मामलों के लिए अदालती कार्यवाही या अन्य वैधानिक कार्यवाही के लिए कानूनी सलाहकार, वकील एटोरनी आदि संस्था की तरफ से कानूनी कार्यवाही करने के लिए नियुक्त करना।
7. संस्था के संचालन के लिए वित्त का प्रबन्ध करना, आय व्यय का ब्यौरा तैयार करना तथा वित्त का वितरण करना।

साधारण सभा - परिभाषा

संस्था सभी सदस्यों के लिए एक रजिस्ट्रर तैयार करेगी तथा उसमें सभी सदस्यों का पूर्ण विवरण तैयार करेगी। साधारण सभा संस्था के अध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी। महामंत्री बैठक के दौरान अध्यक्ष को सहयोग करेगा। सभी निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाएंगे तथा समान मत की स्थिति में अध्यक्ष का मत

निर्णायक मत रहेगा।

कार्यकारिणी समिति के अधिकार तथा कर्त्तव्य

1. पिछली साधारण सभा तथा अन्य सभा की कार्यवाही को सम्पुष्ट करना।
2. संस्था के वार्षिक आय व्यय तथा अन्य खातों को पास करना।
3. महामंत्री द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट को पास करना।
4. स्मारिका (वार्षिक रिपोर्ट) का अवलोकन व तैयार करना।

आय के स्त्रोत

संस्था की आय के स्त्रोत सदस्यों द्वारा चन्दा, दान, सदस्य तथा सामान्य जनता, किसी अन्य संस्था द्वारा उपहार, सहायता, छात्रवृत्ति, ग्रान्ट आदि देना। संस्था के कोष का उपयोग केवल संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होगा। संस्था यदि चाहे तो किसी अन्य वित्तीय संस्था या सरकारी निवेश कर उससे ब्याज की आय अर्जित कर अपना कोष बढ़ा सकती है।

कार्यकारिणी सदस्यों का गठन

अध्यक्ष - अध्यक्ष जिस सभा में भाग लेगा उसकी अध्यक्षता करेगा। सभा के सफल संचालन का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष का होगा। प्रत्येक सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से ही सभा में बोल सकेंगे तथा यदि कोई सदस्य अध्यक्ष की बात नहीं मानता है तो अध्यक्ष उसको सभा से बहुमत से बाहर निकाल सकता है। यदि अध्यक्ष आवश्यक समझे तो संस्था के कुशल संचालन के लिए आवश्यक बैठक बुला सकता है। एक समान मत होने की दशा में अपना निर्णायक मत दे सकता है।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष/उपाध्यक्ष - वरिष्ठ उपाध्यक्ष/उपाध्यक्ष अध्यक्ष को सहयोग करेगा तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वह अध्यक्ष को प्रदत्त सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकता है तथा संस्था के हित के लिए अध्यक्ष के कार्य कर सकता है लेकिन उसके द्वारा किए गए सभी कार्यों, प्रस्तावों को 15 दिन के अन्दर अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कराने होंगे।

महामंत्री - महामंत्री संस्था की सभी गतिविधियों पर पूर्ण ध्यान रखेगा तथा संस्था के सभी रिकार्ड, खाते, मिनट बुक तैयार करेगा तथा संस्था की सभा बुलाने का अधिकारी होगा तथा संस्था के हित के लिए प्रस्ताव रखने तथा उन्हें पास कराने का दायित्व भी उस पर होगा।

संयुक्त मंत्री/सहमंत्री - महामंत्री की अनुपस्थिति में सहमंत्री महामंत्री वाले सभी कार्य करेगा तथा जो भी कार्य महामंत्री द्वारा संस्था के हित के लिए सौंपे

जाएंगे उन्हें पूरा करेगा। यदि वह कार्य करता है तो 15 दिन के अन्दर उन्हें महामंत्री या अध्यक्ष से पास कराएगा।

कोषाध्यक्ष - कोषाध्यक्ष संस्था के आय-व्यय का पूरा ब्यौरा रखेगा। संस्था के वार्षिक खातों को पूरा कराना तथा उन्हें चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित कराना उसकी जिम्मेदारी होगी। कोषाध्यक्ष संस्था के लिए आवश्यक धन का प्रबन्ध नियमानुसार भी करेगा।

सहकोषाध्यक्ष - कोषाध्यक्ष का सहयोग करेगा एवं कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसका कार्य संचालन करेगा।

कार्यालय मंत्री - कार्यालय के कुशल व सफल प्रबन्ध व संचालन का पूर्ण भार कार्यालय मंत्री का रहेगा। कार्यालय का केयर टेकर भी कार्यालय मंत्री ही रहेगा तथा अध्यक्ष की उस पर निगरानी तथा नियंत्रण रहेगा।

संयुक्त कार्यालय मंत्री - कार्यालय मंत्री का सहयोग करेगा एवं उसकी अनुपस्थिति में उसका कार्य संचालन करेगा।

संयोजक - संस्था के किसी बड़े सामुहिक कार्यक्रम का सम्पूर्ण भार संयोजक पर होगा। जो अध्यक्ष एवं महामंत्री के निर्देशानुसार कार्य सम्पन्न करेगा।

प्रचारमंत्री - संस्था के प्रचार-प्रसार की योजना समय-समय पर बनाकर कार्यकारिणी बैठक में पारित कराकर कार्यान्वित करेगा।

सलाहकार - संस्था के उन्नयन हेतु कोई भी योजना अध्यक्ष एवं महामंत्री के माध्यम से कार्यकारिणी बैठक में पारित कराएगें।

अकेक्षण - संस्था के खाते संस्था द्वारा नियत किसी भी कुशल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा समय समय पर नियमानुसार अकेक्षण कराए जाएंगे।

वित्तीय वर्ष - संस्था का वित्तीय वर्ष 12 महीने का होगा जिसकी शुरूआत प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को होगी तथा समाप्त अगले वर्ष 31 मार्च को होगा।

संशोधन - संस्था के विधान में किसी भी प्रकार का संशोधन नियम 12 तथा 12 ए आफ सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एकट 1860 के अनुसार ही किया जाएगा।

कानूनी प्रावधान (नियम 6) - सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एकट 1860 जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू है के नियम संख्या 6 के अनुसार ही संस्था द्वारा या संस्था के खिलाफ अध्यक्ष अथवा महामंत्री द्वारा वाद हो सकता है।

कार्यकारिणी की वार्षिक सूची (नियम 14) - नियम संख्या 14 के अनुसार तथा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एकट 1860 प्रत्येक वर्ष में एक बार कार्यकारिणी के पदाधिकारी तथा सदस्यों की सूची रजिस्ट्रार आफ सोसाइटीज के पास भेजनी

होगी।

संस्था की समाप्ति/निलम्बन - यदि सोसाइटी/सभा की समाप्ति की आवश्यकता अनुभव होती है तो वह भी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एकट 1860 के अनुसार निर्धारित नियमों में ही समाप्त होगी।

एकट का परिपालन - सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एकट 1860 के सभी प्रावधानों का पालन जो भी निर्धारित है होगा।